तारीख हुक्म

जो इस हुक्म की पालना में जारी हुए

न्यायालयः अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश फतेहपुर जिला सीकर

प्रकरण संख्या– 06/2017

विनोद बनाम विनय वगैरह

दिनांक–08.08.2025

अधिवक्तागण वादीगण व प्रतिवादीगण उपस्थित। वादी विवेक पौद्दार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 113 सपठित धारा 151 सीपीसी दिनांक 31.01.2025 पर उभयपक्ष को सुना जा चुका है।

बहस के दौरान वादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए तर्क दिया गया कि वादी की परीक्षा के दौरान प्रश्नगत विक्रय –पत्रों पर प्रदर्श डाले जाने पर अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा आपत्ति की गई तथा विपक्षी के अधिवक्ता द्वारा की गई आपत्ति पर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा पत्रावली अपने पास मंगवा ली गई लेकिन परीक्षा हेतु कमिश्नर की नियुक्ति के बाद न्यायालय को परीक्षा में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं होने तथा आपराधिक अवमानना के संबंध में भी न्यायालय को प्राप्त अधिकार आयुक्त को ही प्राप्त होने से उपर्युक्त आपत्तियों का निस्तारण करने की अधिकारिता भी कमिश्नर को होने के कारण न्यायालय द्वारा पत्रावली को मंगवाया जाकर आपत्ति को सुना जाना विधिसम्मत नहीं होने से प्रार्थी/वादी द्वारा इस पर आपत्ति जाहिर की गई है। ऐसी स्थिति में बयानों के दौरान कमिश्नर के समक्ष उठाई गई आपत्ति के निस्तारण की अधिकारिता न्यायालय को नहीं होने के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से राय प्राप्त किया जाना उचित है। अतः हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर न्यायालय द्वारा दिनांक 24.01.2025 को की गई कार्यवाही को अपास्त करते हुए पत्रावली आपत्ति के निस्तारण हेतु विद्वान अधिवक्ता को सुपुर्द कर पत्रावली माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय को प्रेषित की जावे।

उपर्युक्त तर्कों के खण्डन में अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए तर्क दिया गया कि प्रार्थना पत्र के तथ्य गलत होने व विधि के स्पष्ट प्रावधानों के बाबत उच्च न्यायालय के समक्ष रेफरेंस के लिए प्रेषित किया जाना आवश्यक नहीं होने से वादी का प्रार्थना पत्र विशेष हर्जे से खारिज किया जावे।

Jagan prakash
08.08.2025

अपर जिला न्यायाधीश
फतेहपुर-शेखावाटी (सीकर) राज.

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

जो इस हुक्म की त
में जारी हुए

न्यायालयः अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश फतेहपुर जिला सीकर

प्रकरण संख्या– 06/2017

विनोद बनाम विनय वगैरह

सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि पत्रावली न्यायालय की टारगेटेड पत्रावलियों में शामिल होकर वादी द्वारा प्रकरण में विक्रय पत्र को शून्य घोषित कराये जाने का अनुतोष चाहा गया है जिसमें वादी विवेक पौद्धार की पी.डब्ल्यू 1 के रूप में परीक्षा हेतु न्यायालय द्वारा कमिश्नर नियुक्त किये जाने के पश्चात् साक्ष्य के दौरान विक्रय पत्रों की प्रमाणित प्रतियों पर प्रदर्श डाले जाने पर प्रतिवादीगण के अधिवक्ता की आपत्ति के कारण कमिश्नर द्वारा आपत्ति पर सुनवाई हेतु पत्रावली न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर न्यायालय द्वारा आपत्ति पर उभयपक्ष को सुना गया। सुनवाई के दौरान प्रतिवादी मूल दस्तावेजों के अस्तित्व में होने के बावजूद बिना न्यायालय की अनुमति के प्रमाणित प्रतिलिपि को प्रदर्शित किया जाना विधिसम्मत नहीं होने का तर्क दिया गया लेकिन वादी द्वारा उपर्युक्त आपत्ति के निस्तारण की अधिकारिता न्यायालय को नहीं होने का कथन करते हुए हस्तगत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

किन्तु उभयपक्ष की सहमति से साक्ष्य लेखबद्ध करने हेतु नियुक्त कमिश्नर के समक्ष दस्तावेजों की ग्राह्यता के संबंध में उठाई गई विधिक आपत्ति को निस्तारित करने की अधिकारिता न्यायालय को होने से प्रार्थी/वादी विवेक पौद्धार द्वारा इस संबंध में राय हेतु पत्रावली माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय को प्रेषित किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 113 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाना उचित नहीं पाये जाने से हस्तगत प्रार्थना पत्र मय कोस्ट अस्वीकार कर खारिज किया जाना उचित पाया जाता है। अतः प्रार्थी/वादी विवेक पौद्धार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 113 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा प्रार्थी/वादी पर 1,000/– रूपये की कोस्ट अधिरोपित की जाती है जो प्रार्थी/वादी विवेक पौद्धार द्वारा प्रतिवादीगण को देय होगी।

पत्रावली वास्ते आगामी कार्यवाही व साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 11.08.2025 को पेश हो।

08.08.2025

अपर जिला न्यायाधीश